कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)
(प्रतापपुर रोड, फारेस्ट कैम्पस, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा)
☎ 07774-240238 (O), 240236 (R), 240238 (F) E-Mail :- dfosouthsurguja 200@rediffmail.com

क्रमांक/तक.अधि./ 5221 अम्बिकापुर, दिनांक/ 21 /09 /2017

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ0ग0 मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड,
नमनाकला, अम्बिकापुर

विषय :- **Diversion of 99.350 ha. of Reserved forest land for Bauxite non-coal Mining in favour of M/s Chhattisgarh Mineral Development Corporation Ltd.(CMDCL)Raipur in Pathari village in Surguja Forest Division of Surguja District in the state of chhattisgarh.**
पंजीयन क्रमांक **EP/CG/MIN/14531/2015**

संदर्भ :- 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 8-25/2017-FC, दिनांक 28.08.2017
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/331-224/2810 रायपुर, दिनांक 14.09.2017

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्लेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, परिक्षेत्र मैनपाट के ग्राम पथरई के राजस्व वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ के जंगल) के कुल 99.350 हे. राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तन हेतु सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः प्रकरण में अधिरोपित शर्तो के पालन में निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके :-

1. अधिरोपित शर्त क्रमांक 06 के अनुसार सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि वर्ष 2017-18 की दर से 120044400.00 (रूपये बारह करोड़ चौवालिस हजार चार सौ) निर्धारित हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	व्यपवर्तित वनभूमि हे. में	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वनभूमि हे. में	सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रति हे. राशि	कुल राशि
1	99.350	200.00	600222.00	120044400.00

2. अधिरोपित शर्त क्रमांक 07 के पालन में सरगुजा वनमण्डल अन्तर्गत प्रत्याशा मूल्य (एन.पी.व्ही.) की राशि 62193100.00 (रूपये छः करोड़ इक्कीस लाख तिरान्बे हजार एक सौ) निर्धारित है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	व्यपवर्तित वनभूमि हे. में	प्रत्याशा मूल्य की राशि	वनमण्डल
1	99.350	62193100.00	सरगुजा वनमण्डल

4. अधिरोपित शर्त क्रमांक 06 के पालन में प्रत्याशा मूल्य की राशि में वृद्धि होने की स्थिति में भुगतान हेतु आवश्यक वचन पत्र प्रस्तुत करें।

5. प्रकरण अन्तर्गत उपरोक्तानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं प्रत्याशा मूल्य की राशि Ad-hoc Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के खाता क्रमांक CA25203 Corporation Bank, Block No. II, CGO Complex, Phase-1, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा करने हेतु कैम्पा पोर्टल ऑनलाईन ई-चालान जनरेट कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर के अनुमोदन उपरांत भुगतान कर मूल रसीद प्रस्तुत करें।

RECEIVED No. 239 Date 22.9.17

P.T.O.

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल
अम्बिकापुर

प्रकरण अन्तर्गत अधिरोपित शर्त क्रमांक 01 से 30 तक कार्यवाही पूर्ण कर बिन्दुवार प्रतिवेदन नियमानुसार 04 प्रतियों में मय आवश्यक अभिलेख सहित प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में आ कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर

पृ.क्रमांक / तक.अधि. / 5222 अम्बिकापुर, दिनांक / 21 / 09 /2017

1. मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वन वृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. उप वनमण्डलाधिकारी सीतापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वन परिक्षेत्राधिकारी मैनपाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रकरण अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित राजस्व वनभूमि 200.00 हेक्टेयर का राजस्व अभिलेख में वन विभाग के नाम दर्ज कराकर खसरा एवं बी–1 की प्रति तथा सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट स्केल 1:50000 पर अंकित कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल अम्बिकापुर